XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 4223–दो / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-2-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करते हुए विलंब क्षमा किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । परिणामस्वरूप यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

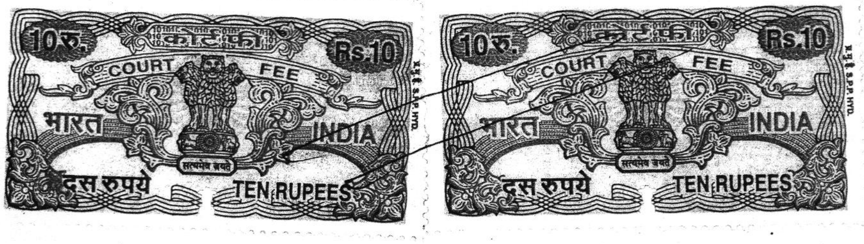

Shri 6/12

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

R 4223-II/14 प्रकरण क्र.निगरानी – / /14

3P-5379
6-12-14

बदनसिहं आ0 श्री छोटेराम मीणा
निवासी ग्राम अमोदा तहसील व जिला
बिदिशा म0प्र0 .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मंगलसिहं आ0 श्री छोटेलाल मीणा
2. हमीरसिह आ0 श्री छोटेलाल मीण
निवासीगण अमोदा तहसील व जिला
बिदिशा म0प्र0 ....प्रत्यर्थीगण

मांक 38477
जिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
आज ______ को प्राप्त
6-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म प्र ग्वालियर

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

अपीलार्थी विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील एवं जिला विदिशा, म0प्र0 द्वारा उनके प्रकरण क0 124/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31/10/14 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।